Email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन / फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक – 1846/ 12–1 , मुनिकीरेती, दिनांक– 10 / 06/ 2020

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.05 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/31858/2018)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं0–8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 204 / 2019 / एफ0सी0 / 2250, दिनांक–09.01.2019।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित कमियों का बिन्दुवार आख्या प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो निम्नवत् है :–

क0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	On perusal of KML file of the proposed area, it is noticed that complete alignment is going through reserve forest area (having flora and fauna as mentioned in DFO's SIR) however, plenty of non forest land available along the road. State Govt. may submit justification/clarification in this regard.	<u>बिन्दु संख्या–01</u> के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखण में वन विभाग द्वारा पूर्व में ही वन मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है, जिसकी चौड़ाई लगभग 4.25 मीटर है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त प्रस्तावित समरेखण में मात्र 1.70 मीटर चौड़ाई में कटान कर चौड़ीकरण किया जाना है। इसी समरेखण में न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे है।
2	The benefitted village is already on road and if the road is required deep inside the village then the alternative alignment shown in the KML file going through non-forest land seems more suitable.	<u>बिन्दु संख्या–02</u> कम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक समरेखण में मार्ग का ग्रेड अत्यन्त स्टीप आ रहा है, जो कि विभागीय मानकों में Exceptional Grade में आता है, जबकि Exceptional Grade मात्र 100 मी0 लम्बाई तक ही अनुमन्य होता है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक समरेखण में मार्ग का निर्माण पूर्ण रूप से 5.95 मी0 चौडाई में किया जायेगा। प्रस्तावित समरेखण मेंपूर्व से ही लगभग 4.25 मीटर चौड़ाई में वन मोटर मार्ग निर्मित है, जिस कारण मात्र 1.70 मीटर चौड़ाई में चौड़ीकरण किया जाना है। तथा प्रस्तावित समरेखण में न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
3	State Govt. may upload the KML file after marking the location of beneficiary village and their distance from existing road.	<u>बिन्दु संख्या–03</u>के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लाभान्वित गांव की location, KML file में अंकित कर ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट–I में यथास्थान अपलोड कर दी

K.T.O.

		गयी है। साथ ही अवगत कराना है कि गांव की existing road से दूरी 2.25 कि0मी0 है।
4	In justification of the proposal uploaded at para-D in Part I, it is submitted that there is already existing light vehicle road (LVR) and the proposal is for windening of the same including falling of 122 trees. State Govt. may submitted the details of the construction of LVR, construction year and provide information whether approval obtained under FCA?	**बिन्दु संख्या–04** के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखण में **existing light vehicle** road (LVR) एक वन मोटर मार्ग है, जिसका निर्माण वन विभाग द्वारा लीसा ढुलान हेतु सन् 1980 से पूर्व में किया गया है।
5	In the SIR, DFO has mentioned about presence of rare/endangered/ unique species of fauna like Black Bear and Leopard in the area. State Govt. May submit the mitigation/ Wildlife management plan containing the existing scenario, senarion after construction of road, impact on the wildlife and the mitigation measures to minimize the impact on wildlife. In one estimate for Rs. 29, 99,150/- has been submitted in the name of WL management Plan which can't be accepted.	**बिन्दु संख्या–05** के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना में वन्यजीव प्रबन्धन योजना का गठन वन क्षेत्राधिकारी, डुण्डा वन राजि की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा क्षेत्र में किये गये स्थलीय निरीक्षण व सर्वेक्षण की वास्तविकता के आधार पर तैयार किया गया है। जिसका पुनः आंकलित Rs. **19,84,000.00** का संशोधित प्रस्ताव ऑनलाईन पार्ट–II के एडिशनल कॉलम में अपलोड कर दिया गया है। वन्यजीव प्रबन्धन योजना की मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। **(संलग्नक–01)**
6	No comments given against para-5.5 of SIR of DFO and the recommendation is sketchy. State Govt. may submit SIR mentioning comments each para and clear copy of recommendation may be submitted.	**बिन्दु संख्या–06** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा संशोधित SIR पुनः ऑनलाईन पार्ट–II के Additional doucments में अपलोड कर दी गयी है एवं छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–02)**
7	State Govt. may submit/upload the complete muck disposal plan including the details like quantity of muck likely to be generated including swell factor, quantity of muck likely to be utilized and the balance quantity to be disposed of at identified muck disposal sites duly approved by the DFO.	**बिन्दु संख्या–07**के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल प्लान ऑनलाईन पोर्टल में पार्ट–I के Additional doucments में अपलोड कर दिया गया है एवं मूल प्रति मय संलग्नकों के इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–03)**
8	Name of the road is incorrect in Part V. State Govt. may submit/upload the Part V providing the correct name of the proposal.	**बिन्दु संख्या–08** से सम्बन्धित कार्यवाही उच्च स्तर से अपेक्षित है।

संलग्नः–यथोपरि ।

भवदीय

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

संख्या :– / , तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक–9595 / 12–1, दिनांक–08.06.2020 के कम मे सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक